

14.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गइ। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एव अधिवक्ता की बहस को मध्यनजर रखते हुए। वाद पत्र स्वीकार कर निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय कि पालना मे तहसीलदार हनुमानगढ को पत्र जारी किया जाकर कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

